न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/361
मिसलनम्बर–101 / 2024

1.श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी स्व0 आशीष जाति ब्राहम्ण निवासी मेहरा पाडा बजाज खाना कोटा हाल गिरधरपुरा के0 पाटन रोड तह0 लाडपुरा कोटा
2.कार्तिक शर्मा पुत्र स्व0 आशीष शर्मा
3.शनाया शर्मा स्व0 आशीष शर्मा नाबालिगान जरिये वलिया माता श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी स्व0 आशीष शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेहरा पाडा बजाज खाना कोटा हाल गिरधरपुरा के0 पाटन रोड तह0 लाडपुरा कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी स्व0 दिनेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेहरा पाडा बजाज खाना कोटा
2.शिल्पा शर्मा पुत्री स्व0 दिनेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेहरा पाडा बजाज खाना कोटा
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 27/10/25

उपस्थिति:–
1.श्री बलराम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री अनुराग गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम मण्डानियां तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1055 की 5.93 हेक्टर भूमि प्रार्थी नं0 2, 3 के दादा व प्रतिपक्षीनी नं 1 के पति व प्रतिपक्षी नं० 2 के पिता दिनेश कुमार आत्मज गिरजा शंकर ब्राहमण कोटा के नाम दर्ज चली आ रही थी। दिनेश कुमार की मृत्यु के बाद उक्त भूमि नामा० नं० 346 दिनांक 24.12.2008 से दिनेश कुमार की पत्नी प्रतिपक्षीनी नं० 1, पुत्रियां श्वेता शर्मा व शिल्पा शर्मा, व पुत्र आशीष शर्मा के शामलाती खाते में दर्ज हुई। आशीष शर्मा प्रार्थीनी नं0 1 के पति व प्रार्थी नं0 2, 3 के पिता थे। जिनका उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जिसके वे एक मात्र खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे थे। प्रतिपक्षीनी न० 1 आशीष शर्मा की माता थी इस कारण प्रतिपक्षीनी नं० 1 ने अपने पुत्र आशीष शर्मा (प्रार्थीगण के पति व पिता) को बरगला कर व धोखे में रखकर कि उसे अन्य खाते कीं भूमि इसके बदले ज्यादा देगीं कहते हुये आशीष शर्मा से उसके 1/4 हिस्से की भूमि को अपने हक मे तथा अपनी नाबालिग पुत्री श्वेता शर्मा की वलिया प्रतिपक्षीनी नं0 2 अपनी बडी पुत्री को बना कर नाबालिग श्वेता शर्मा के 1/4 हिस्से की भी भूमि अपने हक में हक त्याग कर (रिलीज डीड़) का पंजीयन करवा लिया। आशीष शर्मा नशे का आदी था इस कारण प्रतिपक्षीनी नं0 1 ने आशीष शर्मा के अन्य कागजो पर भी हस्ताक्षर करवा रखे है। उक्त रिलीज डीड कानूनन अवैध है। रिलीज किसी एक सहखातेदार के पक्ष में नहीं होती है। तथा उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें आशीष की पत्नी व पुत्र व पुत्री का बराबर हक होता है इस कारण आशीष शर्मा द्वारा उक्त 1/4 हिस्से का किया गया हक त्याग पत्र प्रार्थीगण के विरूद्ध व प्रभावशून्य है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आशीष शर्मा के उक्त 1/4 हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। उक्त हक त्याग पत्र का नामा0 नं0 365 दिनांक 03.07.2009 को प्रतिपक्षीनी नं० 1 ने अपने पक्ष में तस्दीक करवा कर प्रतिपक्षीनी नं० 1 ने 3/4 हिस्सा व प्रतिपक्षीनी नं0 2 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। जब कि प्रार्थीगण के पति व पिता आशीष शर्मा उक्त भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि पर हक त्याग पत्र के बाद भी काबिज काश्त चले आ रहे थे। उक्त ख०न0 1055 की 5.93 हैक्टर भूमि वर्तमान में प्रतिपक्षीनी नं० 1 व 2 के नाम दर्ज होने व वादीगण का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिपक्षीनी नं० 1 व 2 उपरोक्त भूमि को अन्य लोगो के बहकावे में आकर अपने स्वार्थ हेतु भूमियों को बेचान करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि प्रार्थिगण की पुश्तैनी भूमि होने से प्रतिपक्षीनी नं० 1 व 2 को भूमि बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है । प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को प्रतिपक्षीनी नं. 1 व 2 को रहन व बेचान नहीं करने तथा प्रार्थीगण का नाम बहैसियत सहखातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्से पर अंकित कराने हेतु प्रतिपक्षी नं० 1 व 2 को कहा तो प्रतिपक्षीनी नं० 1 व 2 ने नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिपक्षीनी नं0 1 द्वारा दिनांक 17.10.2024 को धमकी दी कि वे उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं करवायेगे ओर प्रतिपक्षीनी नं. 1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान कर देगें। यदि उक्त भूमि को प्रतिपक्षीगण द्वारा खुर्द बुर्द व बेचान कर दिया गया तो प्रार्थिगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थीगण का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है प्राथीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध इस प्रकार की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षी नं० 1 व 2 ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं० 1055 रकबा 5.93 हैक्टर भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे तथा उक्त भूंमि को

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रहन विक्रय व अन्तरण, खुर्द बुर्द आदि नहीं करे उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में लिखे अनुसार ग्राम मण्डानीया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1055 की 5.93 है० भूमि प्रार्थी नम्बर–2 व 3 के दादा, प्रतिपक्षी क्रम –1 के पति व प्रतिपक्षी क्रम 2 के पिता श्री दिनेश कुमार शर्मा आत्मज स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेहरापाडा बजाज खाना, कोटा जिला कोटा की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना–पत्र में लिखे अनुसार आशीष शर्मा आत्मज दिनेश शर्मा का प्रार्थिनी नम्बर 1 का पति एवम प्रार्थिनी नम्बर–2 व 3 के पिता होना स्वीकार है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में आशीष शर्मा का 1/4 हिस्सा पूर्व में निहित होना स्वीकार है। शेष वर्णन स्वीकार नही है। आशीष शर्मा के द्वारा उपरोक्त निहित 1/4 हिस्से की भूमि का हक त्याग अपनी माता प्रतिपक्षनी नम्बर–1 रजनी शर्मा के पक्ष में दिनांक 23–06–2009 को कर दिया था तथा प्रमाण के तौर पर हक त्याग पत्र प्रतिपक्षनी नम्बर 1 के पक्ष में उक्त दिनांक को आलेखित कर पंजीकृत करवा दिया था। पूर्व खातेदार दिनेश कुमार शर्मा जी के स्वर्गवास के उपरान्त से ही प्रतिपक्षनी क्रम 1 उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण 5.93 हैक्टयर भूमि की काश्त की व्यवस्था करती थी तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिपक्षनी क्रम 1 बहैसियत खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज चली आ रही थी तथा वर्तमान में भी काबिज है। प्रार्थीगण के पति एवम पिता आशीष शर्मा का उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर कभी भी कब्जा नही रहा है। इस कारण से प्रार्थीगण का भी उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नही है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के द्वारा सर्वथा गलत, असत्य एवम निराधार तथ्य काल्पनिक रूप सें अंकित किये गये है। वास्तविकता यह है कि आशीष शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार जी शर्मा एवम श्वेता शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार जी शर्मा द्वारा अपनी स्वतन्त्र इच्छा, पूर्ण सहमति, बिना किसी दबाव के एवम बिना किसी नशे पते के उपरोक्त आराजीयात में निहित अपने 1/4–1/4 हिस्से की भूमि को दिनांक 23–06–2009 को अपनी माता रजनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार जी शर्मा के पक्ष में पंजीकृत रिलीज डीड के माध्यम से हक त्याग कर दिया था। उक्त हक त्याग निष्पादन के समय निष्पादनकर्ता आशीष शर्मा एवम श्वेता शर्मा दोनो बालिग थे, जिसकी पुष्टि हक त्याग पत्र में अंकित उनकी आयु से होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में जिस समय उक्त हक त्याग पत्र उपरोक्त निष्पादनकर्ताओ के द्वारा प्रतिपक्षनी क्रम–1 के पक्ष में आलेखित किया गया था, उस समय आशीष शर्मा अविवाहित था तथा उसके कोई संतान नही थी। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के द्वारा भ्रमित करने के उद्देश्य से सर्वथा गलत रूप से इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है, जिसमें आशीष शर्मा की पत्नी व पुत्र एवम पुत्री का बराबर का हक होता है। दिनेश शर्मा जी की मृत्यु के उपरान्त आशीष शर्मा का विवाह तथा पुत्र व पुत्री उत्पन्न हुऐ। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण के लिए किसी भी रूप में पुश्तेनी आराजीयात नही है। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र में लिखे अनुसार उपरोक्त हक त्याग पत्र प्रभावशुन्य नही है। आशीष शर्मा द्वारा उसके हक व हिस्से की भूमि का हक त्याग अपनी पूर्ण सहमति व स्वतन्त्र इच्छा से अपनी माता प्रतिपक्षनी क्रम 1 के पक्ष में किया गया था तथा प्रमाण के तौर पर हक त्याग पत्र दिनांक 23–06–2009 को आलेखित कर पंजीकृत करवाया गया था। यही कारण है. कि आशीष शर्मा, के द्वारा उसके जीवनकाल में कभी भी उक्त हक त्यांग पत्र को बावजूद जानकारी के किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नही दी गयी थी तथा चौलेन्ज नही किया गया था। प्रार्थीगण उनके पिता आशीष शर्मा के उपरोक्त लिखे अनुसार उक्त स्वीकृति से बाध्य एवम पाबन्द है तथा इसके विपरीत किसी भी प्रकार का कोई कृत्य व कथन करने से विबन्धित (एस्टोप्ड) है। उक्त हक त्याग पत्र वैध एवम जिनाईन दस्तावेज है। प्रार्थना पत्र में लिखे अनुसार उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर प्रतिपक्षनी नम्बर–1 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 365 दिनाक 3–7–2009 को तस्दीक किया गया था। उक्त नामान्तकरण तस्दीक होने के उपरान्त प्रतिपक्षनी नम्बर 1 का उपरोक्त वर्णित आराजीयात में 3/4 हिस्सा निहित हो गया था तथा शेष 1/4 हिस्सा प्रतिपक्षनी नम्बर 2 शिल्पा शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री दिनेश शर्मा का निहित था। उपरोक्त लिखे अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में भी इन्द्राजात दर्ज थे। प्रार्थीगण के पति व पिता आशीष शर्मा का उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर कभी भी कब्जा नही रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र में लिखे अनुसार हक त्याग–पत्र निष्पादित करने के उपरान्त भी प्रार्थीगण के पति व पिता आशीष शर्मा का उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज काश्त चले आने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में मनगंढत तथ्य काल्पनिक तौर पर अंकित किये गये है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि नही है, क्योंकि गत खातेदार दिनेश शर्मा के स्वर्गवास के समय आशीष शर्मा अविवाहित था तथा उसके कोई औलाद नही थी। आशीष शर्मा का विवाह प्रार्थिया क्रम 1 से आशीष शर्मा के पिता श्री दिनेश शर्मा जी का स्वर्गवास होने के उपरान्त हुआ था तथा अप्रार्थीया क्रम 1 व 2 का जन्म भी आशीष शर्मा के पिता श्री दिनेश शर्मा जी के स्वर्गवास के उपरान्त ही हुआ था। इस कारण से उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण के लिए पुश्तेनी भूमि नही है, क्योकि गत खातेदार दिनेश शर्मा की मृत्यु के समय प्राथीगण का कोई अस्तित्व नही था। प्रतिपक्षनी क्रम 1 व 2 उपरोक्त भूमि की खातेदार टीनेन्ट है, जिन्हे उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब तक प्रार्थीगण सक्षम सिविल न्यायालय से उक्त हक त्याग पत्र को निरस्त नही करवा लेते, तब तक सम्माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। राजस्व न्यायालय कानूनन उक्त हक त्याग पत्र की वैधानिकता की जांच करने हेतु सक्षम नही है अर्थात राजस्व न्यायालय के द्वारा उपरोक्त रिलीज डीड की वैधानिकता की जांच नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण, प्रतिपक्षनी क्रम 1 से दिनांक 17–10–2024 अथवा अन्य किसी भी दिनांक पर नही मिली है। न ही प्रतिपक्षनी क्रम 1 के द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कोई धमकी दी गयी है। प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्से की भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने के किसी प्रकार से अधिकारी नही है। प्रार्थीगण के पति एवम पिता आशीष शर्मा ने उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में अपने निहित 1/4 हिस्से की भूमि का हक त्याग अपनी माता प्रतिपक्षनी क्रम 1 रजनी शर्मा के पक्ष में कर दिया था तथा प्रमाण के तौर पर पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 23–06–2009 को निष्पादित कर दिया था। चूंकि प्रार्थीगण के पति एवम पिता के उपरोक्त भूमि में निहित समस्त हक हकुक एवम मालिकाना स्वत्व व अधिकार दिनांक 23–06–2009 को ही समाप्त हो गये थे। इस कारण से प्रार्थीगण का उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में कोई हक हिस्सा विद्यमान नही रहा है। प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट है तथा उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर कब्जा नही है तथा जब तक प्रार्थीगण उक्त रिलीज डीड को सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त नही करवा लेते, तब तक सम्माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। राजस्व न्यायालय को कानूनन रिलीज डीड की वैधानिक की जांच करने का अधिकार नही है। उपरोक्त वर्णित कारणो से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का प्रथम दृष्टया प्रकरण हैं तथा यदि किसी प्रकार से प्रतिपक्षनी क्रम 1 व 2 को सम्माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षनी क्रम 1 व 2 को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पुर्ति किसी प्रकार से नही की जा सकेगी। सुविधा का संतुलन एवम् उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा भी प्रतिपक्षनी क्रम 1 व 2 का है। इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना– पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित एवम विधि संगत होगा। प्रार्थीगण के पति व पिता आशीष शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार जी शर्मा एवम श्वेता शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार जी शर्मा द्वारा अपनी स्वतन्त्र इच्छा, पूर्ण सहमति, बिना किसी दबाव के एवम बिना किसी नशे पते के उपरोक्त आराजीयात में निहित अपने सम्पूर्ण 1/4–1/4 हिस्से की भूमि को दिनांक 23–06–2009 को अपनी माता श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार जी शर्मा के पक्ष में पंजीकृत रिलीज डीड के माध्यम से हक त्याग कर दिया था। दिनेश शर्मा जी का स्वर्गवास होने के उपरान्त से ही रजनी शर्मा उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात की काश्त की व्यवस्था करती थी तथा गत खातेदार दिनेश शर्मा जी का स्वर्गवास होने के उपरान्त से ही प्रतिपक्षनी क्रम –1 रजनी शर्मा सम्पूर्ण आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रही। वर्तमान में प्रतिपक्षनी क्रम 1 व 2 उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के पति व पिता स्वर्गीय श्री अशीष शर्मा का उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर कभी भी कब्जा नही रहा है। इस कारण से प्रार्थीगण का उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीगण क्रम 2 व 3 उनके दादा दिनेश शर्मा जी की मृत्यु के समय अस्तित्व में नही थे, अर्थात पैदा ही नही हुऐ थे। ऐसी स्थिति उक्त भूमि प्रार्थिगण की पुश्तेनी भूमि होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इस

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आधार पर भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर काबिज नही है। प्रतिपक्षनी क्रम 1 व 2 उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। प्रार्थीगण के द्वारा सम्माननीय न्यायालय से कब्जे का अनुतोष नही चाहा गया है, इस कारण से कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। जब तक प्रार्थीगण उपरोक्त आराजीयात के सम्बंध में कब्जे का अनुतोष प्राप्त नही कर लेते, तब तक कानूनन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से निरस्त होने योग्य है। प्रतिपक्षी उपरोक्त वाद विषयक आराजीयात पर बहेसियत खातेदार टीनेंट काबिज है। खातेदार टीनेंट के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इस आधार पर भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित कारणो से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. **2022(1) डीएनजे 534,**
2. **2022(1) डीएनजे 541,**
3. **2008(2) आर0आर0टी0 580,**
4. **2008(2) आर0आर0टी0 854,**
5. **2019 आर0बी0जे0 529,**
6. **2023(1) डीएनजे 88,**
7. **2023(1) डीएनजे 93**

अप्रार्थीगण की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

1. **2021(1) आर0आर0टी0 451,**
2. **2016 डीएनजे एस0सी0 258,**
3. **2015(1) आर0आर0टी0 633,**
4. **2023(1) आर0आर0टी0 938,**
5. **2013(1) आर0आर0टी0 133,**

अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया है कि दिनेश शर्मा जी की मृत्यु के उपरान्त आशीष शर्मा का विवाह तथा पुत्र व पुत्री उत्पन्न हुऐ। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के लिए किसी भी रूप में पुश्तेनी आराजीयात नही है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से उक्त आराजी में अधिकार नही है।

प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 1055 की 5.93 हेक्टर भूमि प्रार्थी नं0 2, 3 के दादा व प्रतिपक्षीनी नं 1 के पति व प्रतिपक्षी नं० 2

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के पिता दिनेश कुमार आत्मज गिरजा शंकर ब्राहमण कोटा के नाम दर्ज चली आ रही थी। दिनेश कुमार की मृत्यु के बाद उक्त भूमि नामा० नं० 346 दिनांक 24.12.2008 से दिनेश कुमार की पत्नी प्रतिपक्षीनी नं० 1, पुत्रियां श्वेता शर्मा व शिल्पा शर्मा, व पुत्र आशीष शर्मा के शामलाती खाते में दर्ज हुई। आशीष शर्मा प्रार्थीनी नं0 1 के पति व प्रार्थी नं0 2, 3 के पिता थे। जिनका उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ। आशीष शर्मा द्वारा अपने हिस्से की आराजी को अपनी माता रजनी पत्नी दिनेश शर्मा के पक्ष में रिलीज कर दिया। रिलीज किसी एक सहखातेदार के पक्ष में नहीं होती है। तथा उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें आशीष की पत्नी व पुत्र व पुत्री का बराबर हक होता है इस कारण आशीष शर्मा द्वारा उक्त 1/4 हिस्से का किया गया हक त्याग पत्र प्रार्थीगण के विरूद्ध व प्रभावशून्य है। प्रार्थीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में राजस्व जमाबंदीयॉ ग्राम मण्डानिया संवत 2070–2073, संवत 2058–2061, संवत 2062–2065, संवत 2066–2069 पेश की है। जमाबंदी ग्राम मण्डानिया संवत 2058–2061 के अवलोकन से तथ्य स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी दिनेश कुमार आत्मज गिरजाशंकर के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। दिनेश कुमार की मृत्यु के बाद उक्त भूमि नामा० नं० 346 दिनांक 24.12.2008 से दिनेश कुमार की पत्नी प्रतिपक्षीनी नं० 1, पुत्रियां श्वेता शर्मा व शिल्पा शर्मा, व पुत्र आशीष शर्मा के शामलाती खाते में दर्ज हुई। उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ। तत्पश्चात आशीष शर्मा द्वारा अपनी माता अप्रार्थी नं0 1 के पक्ष में अपना हिस्सा रिलीज कर दिया। आशीष शर्मा प्रार्थीनी नं0 1 के पति व प्रार्थी नं0 2, 3 के पिता थे। उक्त आराजी आशीष शर्मा की स्वअर्जित सम्पत्ति नही थी। उक्त आराजी आशीष शर्मा को अपने पिता दिनेश शर्मा के फौत होने के पश्चात नामा० नं० 346 दिनांक 24.12.2008 से प्राप्त हुई है। चूंकि उक्त आराजी आशीष शर्मा की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है जिसमें प्रार्थीगण के हक अधिकारों का निर्धारण होना अभी शेष है। उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव होगा परन्तु इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है इस प्रकार हक अधिकारों की निर्धारण नहीं होने तक विवादित आराजी को खुर्द बुर्द हो जाने का भय सदा व्याप्त रहेगा। यदि अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द, बेचान व अन्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण को असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है जिस कारण से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अप्रार्थीगण की ओर से बहस मे कथन किया है कि अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसके विपरीत प्रार्थीगण के ओर से कथन किया गया है कि इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर माननीय राजस्व मण्डल ने अनेक प्रकरणों में यह अभिमत प्रकण किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिये केवल तीन सिद्धांत 1.प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूरणीय क्षति का सिद्धांत को ही ध्यान में रखना होता है और यदि यह तीनो सिद्धांत किसी के पक्ष में हो तो उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2020(2) आर0आर0टी0 1081** पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। जिस कारण से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक में प्रमाणित है। उक्त विवेचन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर तक ही है, जिसका मूल वाद पर कोई असर नही है। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द वे बेचान तथा अन्तरण कर दिया तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीगण को विवादित आराजी में अपने निहित अधिकारों से वंचित होना पड़ सकता है। वाद के निस्तारण तक अचल सम्पत्ति को संरक्षित किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 1055 रकबा 5.93 है0 को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नही करे तथा उक्त भूमि को रहन विक्रय व अन्तरण खुर्द बुर्द आदि नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनाकः 27/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा